

06/06/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील अक्षय  
न्यायालय समय में प्रार्थी वकील को रकम -  
रकम कर तीन बार आवाज लगाई लेकिन कोई  
उपप नही भाया। अतः प्रार्थी का अतिरिक्त अर्क  
पैरबी आदम डायरी में खरीज किया जाता है।  
पत्रावली केसल श्रुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपपंड अधिकारी  
मौहब